न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 38/2017

बन्तासिंह पुत्र बहालसिंह जाति रायसिख निवासी ओडकी तहसील जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलांट

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 22.03.2016

उपस्थिति—
श्री ओमप्रकाश बतरा, अभिभाषक अपीलांट
श्री महावीर धारणीयां, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 28-6-2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बन्तासिंह पुत्र बहाल सिंह ने एक प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष पेश कर तहसील घडसाना के चक 4 एम.एलडी हाल चक 2 एम.एल.डी के मु.नं. 66/37 के कि.नं. 16 ता 25 की कुल 7.11 बीघा भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर मुमकिन कालोनी को हटाकर प्रार्थी के नाम आवंटन भूमि के खारिजी आदेश को अपास्त कर भूमि को बहाल की जाकर प्रार्थी के नाम से दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया।

(A) तहसीलदार राजस्व घडसाना जरिये राज पैराकार नायब तहसील ने उक्त प्रा.पत्र का जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रा.पत्र की मद सं. 1, 2 रिकार्ड पर आधारित है। मद सं. 3 जिस तरह वर्णन की गई है स्वीकार नहीं, अस्वीकार है। मद सं. 4 कानूनी है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र मय हर्जा खर्चे खारिज फरमाया जावे।

(B) प्रार्थी ने दिनांक 27.10.14 को प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि सहवन से सिंचाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विभाग के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गई है। इसलिए अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड घडसाना उक्त अनवान प्रा.पत्र में हितबद्ध पक्षकार है। अतः निवेदन है कि अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड घडसाना को उक्त प्रा.पत्र में बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया जावे। अधी. न्यायालय ने दिनांक 04.12.2014 को प्रार्थी का उक्त प्रा.पत्र स्वीकार कर अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड घडसाना को बतौर अप्रार्थी पक्षकार सं. 2 बनाने के आदेश दिये।

(C) अप्रार्थी सं. 2 ने अपने पत्रांक 5109 दिनांक 16.12.2014 से प्रार्थी के प्रा. पत्र का जबाब पेश कर वादी का वाद/प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

(D) उभयपक्ष को सुनने के उपरांत अधी. न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.03.2016 से प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रावधानां के अनुरूप नहीं हाने के कारण खारिज कर दिया।

(E) अपीलांट उक्त आदेश से व्यथीत होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। अपील के साथ अपीलांट ने दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र मय शपथपत्र पेश किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस में मुख्य रूप से अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को चक 4 एम एल डी तहसील घडसाना के मु.नं. 66/37 के कि.नं. 16 ता 25 की 7.11 बीघा भूमि जरिये मिसल नं. 956/1975 के अलॉट की गई तथा आवंटन आदेश जारी किया गया। आवंटन के पश्चात अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। फसल पैदावार ना होने के कारण समय पर किश्ते जमा नहीं करवा पाया। जब अपीलांट ने समस्त बकाया राशि एक साथ जमा करवाने व रकबा बहाल करवाने की कार्यवाही की तो पता चला कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से आराजी राज व गैर मुमकिन कालोनी दर्ज है। इस पर अपीलांट ने एक प्रा.पत्र रकबा बहाल करवाने व आंशिक संशोधन का पेश किया मगर सहवन से टकण की गलती से धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज हो

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

गया। अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से रकबा 136 एल.आर.एक्ट का लिखा होने के कारण खारिज कर दिया। अपील देरी से पेश करने बाबत अपीलांट ने दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील देरी से पेश करने बाबत समुचित कारण अंकित किये हैं। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

(ii) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अधी. न्यायालय द्वारा सही खारिज किया गया है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसके अलावा अपीलांट ने यह अपील लगभग एक वर्ष विलम्ब से पेश की है। अतः अपील मियाद बाहर होने से भी अपील खारिज किये जाने येाग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) अपीलांट का स्वयं का कथन है कि उसे उक्त रकबा वर्ष 1975 में आवंटन हुआ तथा उसके द्वारा किश्ते जमा नहीं करवाने से खारिज किया जा चुका है। तत्पश्चात रकबा बहाल करवाने की कार्यवाही की व समस्त राशि एक साथ जमा करवाना चाहा तो पता लगा कि उक्त आराजी कृषि विभाग के नाम दर्ज है। तत्पश्चात उसके द्वारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत रकबा बहाली व संशोधन का प्रा.पत्र अधी. न्यायालय में दिया जो खारिज कर दिया गया।

(b) अपीलांट ने उक्त तथ्यों की कहानी में यह अपील में कही इंगित नहीं किया कि उसका रकबा कब खारिज हुआ व उसने उक्त खारिजी के आदेश के विरूद्ध कब प्रा. पत्र दिया। वर्ष 2014 में भी उसके द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 136 के तहत उपखण्ड को दिया जो खारिज हो गया।

(c) वर्तमान में रकबा सिंचाई विभाग के नाम है जिसे पक्षकार भी नहीं बनाया जो उक्त प्रकरण में आदेश 1 निमय 10 सीपीसी के प्रा.पत्र के द्वारा पक्षकार बने।

(d) अपीलांट पूरे मामलें में उक्त अपील के औचित्य व अत्याधिक विलम्ब अर्थात 1974 से 2014 के बीच के गुजरे समय का स्पष्टीकरण नहीं दे सका।

(e) एकतरफ तो वे उक्त खारिज रकबा बहाली की बात करते है, दूसरी तरफ वर्तमान में उक्त रकबा से सिंचाई विभाग गैर मुमकिन कॉलोनी का नाम कलमजन करने की

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थना धारा 136 एल.आर.एक्ट में करते है ,जो नितांत पोषणीय व कानून के अनुरूप नहीं है।

(f) अपीलांट का उक्त विरोधाभाषी व निराधार आवेदन उसके द्वारा अत्याधिक विलम्ब से भी प्रस्तुत किया गया जो अधी.न्यायालय द्वारा सही रूप से निरस्त किया गया है। अधी. न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है। लिहाजा अपील निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28-6-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)